

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान: ग्रामीण सेवा शिविर-ओडा

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओडा व भू.अ.नि. ओडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्ड की जमाबन्दी सम्वत् १९७७ में खाता संख्या २११ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>ओडा</u>	<u>२११</u>	<u>कालु/जसराज मादव</u>	<u>कालुराम/जसराज मादव</u>

(5)
सहायक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन)
पदेन सहा.कलक्टर
रेलमगरा

क्रमांक :- 1/राजस्व/2025/15

दिनांक :- 29/9/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कालुराम/जसराज मादव को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(5)
सहायक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन)
पदेन सहा.कलक्टर
रेलमगरा